

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 1205]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/ VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ.1780(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 2 के खंड (य ट क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त विनियम के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन स्व-प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु अधिसूचित वोल्टेज 11 के.वी. होगी।

[फा. सं. 23/23(i)/2014-आर एंड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

S.O.1780(E). — In exercise of the powers conferred by clause (zka) of regulation 2 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that the notified voltage for the purpose of self-certification under regulation 30 and regulation 43 of the said regulations shall be 11 kV.

[F. No. 23/23(i)/2014-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.